

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया।

Email Id- qualitycontrolgaya@gmail.com

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-04/2025-2026

पत्रांक-.....११४...../गया,

दिनांक-.....२३.०३.२०२६...../

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर (01) एक अद्द वाहन बोलेरो (Non-AC)(चालक सहित, ईंधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिको/फर्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तों के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यन्वित अवधि	अद्द	वाहन के प्रकार	अभियुक्ति
01	एकरारनामा की तिथी से 31.03.2027 तक	01 अद्द	बोलेरो(Non-AC)	कार्यपालक अभियंता के उपयोग हेतु

- 1 कोटेशनदाता का पदनाम एवं पता:-कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया।
- 2 कोटेशन आमंत्रण की तिथि:- दिनांक-23.03.2026।
- 3 कोटेशन जामा करने की आवधि:-दिनांक 23.03.2026 से दिनांक 06.04.2026 के 3 बजे अपराहन तक।
- 4 कोटेशन खोलने की तिथि समय :- दिनांक 06.04.2026 को 4 बजे अपराहन में।
- 5 कोटेशन खोलने की स्थान:- गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया में।
- 6 कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्त:- अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।
Chandan
23.03.2026
23/03/26
23.03.26

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रू0 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 पर अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यासायिक निबंधन अनिवार्य है। वाहन का दैनिक रख रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा।
3. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक ही होगी।
4. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा, वाहन का वैध निबंधन पत्र, रोड टैक्स इनश्योरेंस एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
5. मालिक/फर्म का जी0 एस0 टी0, पैन कार्ड एवं आधार न0 होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारन वाहन मालिक की जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
9. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) मासिक न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
10. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
11. वाहन का किराया जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक 381 दिनांक 04.04.2022 द्वारा निर्धारित अधिकतम उद्धृत दर बोलेरो रूपये 21500.00 (इक्कीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा संबंधित मद में विभाग से आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
12. वाहन का मॉडल 2017 से पहले का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकता निजी अथवा अन्य व्यासायिक कार्यों में नहीं किया जायेगा।
14. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. ईच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना लेटर पैड पर एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति काटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
16. एक से अधिक समान न्यूनतम दर से कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बिच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।
17. लेटरपैड एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
18. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है

२०/-

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

पत्रांक-...../गया,

दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

२०/-

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

पत्रांक- 228 / गया,

दिनांक- 23.03.2026,

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)

प्रमंडल, गया।

Chempay
23.03.2026

23/03/26

egp
23.03.26